न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 40 / 2024

जीसीएमएस : 2024 / 344

01. उतम सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति बावरी साकिन 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

02. हाकम सिंह पुत्र श्री भान सिंह जाति बावरी साकिन 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू सिंह पुत्र श्री टीका सिंह जाति बावरी साकिन 9 टी.के. हाल जालवाली तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ राज.।
2. बूटा सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति बावरी साकिन 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.। —— मृतक
   - 2/1. दर्शन सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह
   - 2/2. नत्थू राम पुत्र श्री बूटा सिंह

   } जाति बावरी साकिन 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
3. प्यारा सिंह पुत्र टीका सिंह जाति बावरी साकिन 9 टी0के0 तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
4. मेहर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह जाति बावरी साकिन 9 टी0के0।—— मृतक
   - 4/1. लाभ सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह
   - 4/2. रांझा सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह
   - 4/3. दारा सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह
   - 4/4. लाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह
   - 4/5. वेद राम पुत्र श्री महेन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह

   } जाति बावरी साकिन 9 टी.के. हाल 26 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
5. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग रायसिंहनगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 29.10.2024

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री उमेश कान्त सोनी प्रार्थी अधि.।
2. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण।

––निर्णय–– दिनांक 29.01.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थी सं. 1 उतम सिंह के नाम से वाके चक 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 167/25 में दर्ज अनुसार मु.नं. 50–18–27–43 में कुल 4.394 है. नहरी बारानी मय खाला व रास्ता खातेदारी भूमि है। इसी प्रकार प्रार्थी सं. 2 हाकम सिंह एवं उसके भाई सोहन सिंह के नाम से वाके चक 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 90/81 में [illegible] अनुसार मु.नं. 42 पं.नं. 193/303 की कुल 1.581 है. नहरी मय खाला [illegible] खातेदारी भूमि है जिसको प्राथी सं. 2 काश्त [illegible] प्रार्थीगण [illegible] उपरोक्त रकबा में वाके चक 9 टी.के. का [illegible] 44 व 45 [illegible] कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता के जरिये आवागमन कर [illegible] आ रहे थे तथा यही रास्ता प्रार्थीगण को अपने रकबा में आवागमन हेतु सुगम व छोटा रास्ता है उपरोक्त रास्ता के दक्षिण दिशा में मुरब्बा नं. 41 व 42 के कि.नं. 21 ता 25 में खाला स्वीकृतशुद्वा है, उपरोक्त स्वीकृतशुद्वा रास्ता व खाला बाबत राजस्व पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड अनुसार नक्शा भी जारी कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

दिया गया है उपरोक्त रास्ता का प्रार्थीगण अपने रकबा में आवागमन हेतु उपयोग करते आ रहे है लेकिन मु.नं. 41 व 42 के कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुद्वा खाला की बजाऐ सिंचाई विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड से हटते हुए बिना पेमाईश किये खाला की जगह को रास्ता होना बताकर व रास्ता की जगह खाला की जगह होना बताकर विधि विरूद्व तरीके से मुरब्बा नं. 44 व 45 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता की जगह पर पक्का खाला निर्माण कर दिया तथा खाला की जगह रास्ता बताये जाने पर हम प्रार्थीगण अपने–अपने रकबा में मु.नं. 41–42 के कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता के जरिये आवागमन करते रहे है। अब मु.नं. 41 व 42 के काश्तकारान द्वारा अपने रकबा में कोई रास्ता नहीं होना बताकर उक्त रास्ता को बन्द कर दिया है तथा तारबंदी खाला की जगह पर लगा दी है जिससें हम प्रार्थीगण अपने रकबा में आवागमन करने से वंचित हो गये है तथा खेतों में अपने रकबा की आवागमन के अभाव में खडी फसल की सारल सम्भाल सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे है तथा फसल खराब हो रही है। हम प्रार्थीगण ने मुताबिक राजस्व रिकार्ड मु.नं. 44–45 के कि.नं. 1 ता 5 में रास्ता की जगह होना बताकर उपरोक्त रास्ता की जगह पर निर्मित खाला को हटाकर रास्ता चालू किये जाने हेतु अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 को कई बार निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने प्रथमतः टालमटोल के बाद अन्ततः दिनांक 28.10.2024 को माननीय न्यायालय के आदेशों से ही खाला हटाने एवं रास्ता चालू करवाया जाना संभव होना बताकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता को चालू करने से इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। हम प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत रास्ता अनुसार अपने रकबा में आवागमन करना चाहते है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा स्वीकृतशुद्वा रास्ता की जगह पर विधि विरूद्व तरीके से खाला बनाकर रास्ता अवरोध पैदा कर दिया है जिस वजह से हम प्रार्थीगण अपने रकबा में आवागमन करने से वंचित हो गये है तथा हम प्रार्थीगण के रकबा में खड़ी फसल खराब हो रही है इसलिए हम प्रार्थीगण उपरोक्त स्वीकृतशुद्वा रास्ता को चालू करवा पाने व नियमानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्णित खाला की जगह पर खाला चालू करवा पाने के विधिक अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है तथा प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से मियाद अन्दर पेश किया गया है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके चक 9 टी.के. का मुरब्बा नं. 44–45 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता की जगह से खाला हटाया जाकर रास्ता चालू कर[illegible] ही चिपते रकबा मु.नं. 41–42 के कि.नं. 21 ता 25 [illegible] करवाये जाने के आदेश सादिर फरमाये जाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] नोटिस तलब किया गया एवं तहसील[illegible] मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 व 2/1–2/2–3–4/1 ता 4/5 के हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 28.10.2024 की पटवार हल्का जगतसिंहवाला/11 टी.के. की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:13 IST
Reason: SelfAttested

अंकित किया गया है कि चक 9 टीके के प.नं. 192/303 मु.नं. 41 व प.नं. 193/303 मु.नं. 42 के कि.नं. 21 ता 25 में 0.025 है. खाला दर्ज रिकार्ड है तथा प.नं. 192/304 मु.नं. 45 प्रत्येक के कि.नं. 1 ता 5 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है जबकि मौका पर मु.नं. 41 व 45 के मध्य गै.मु. रास्ता की जगह सिंचाई विभाग का पक्का खाला बना हुआ है अतः प्रार्थीगण खाला हटवाने बाबत् सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

4. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1551 दिनांक 14.10.2025 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 9 टीके प.नं. 192/303 मु.नं. 41 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025 है. खाला दर्ज है तथा इसी चक के प.नं. 193/304 मु.नं. 44 तथा प.नं. 192/304 मु.नं. 45 उक्त दोनों मुरब्बों के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है। चक 9 टीके मु.नं. 41 के कि.नं. 21 ता 25 में खाला स्वीकृत है परन्तु उक्त खाला अपनी जगह पर न होकर चिपते मु.नं. 45 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता की जगह पर पक्का निर्मित खाला होने के कारण रास्ता बंद है तथा मु.नं. 44 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता की जगह पर कि.नं. 2 ता 5 में खाला की घरेलू आड़ होने के कारण रास्ता बंद है। प्रार्थीगण द्वारा चक 9 टीके मु.नं. 44–45 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता की जगह निर्मित खाला को हटाने व मु.नं. 41–42 के कि.नं. 21 ता 25 स्वीकृत खाला को चालू करवाने की मांग की है। अतः चक 9 टीके के मु.नं. 44–45 दोनों मुरब्बों के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता की जगह निर्मित सिंचाई खाला को हटाया जाकर मु.नं. 41 के कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृत खाले की जगह में खाला निर्मित किया जाना उचित है।

5. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 1011 दिनांक 05.12.2024 से अवगत करवाया है कि चक 9 टीके के मुरब्बा नं. 44 प.नं. 193/304 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता की जगह चल रहे खाला को हटाकर रास्ता की जगह चल रहे खाला को हटाकर रास्ता चालू करवाने व खाला निर्धारित जगह चालू करवाये जाने के संबंध में इस कार्यालय के कनिष्ट अभियंता व पटवारी द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त खाला वर्तमान में रास्ता की जगह चल रहा है जो कि खाला निर्माण कार्य कार्यालय अधिशाषी अभियंता गंगनहर ओएफडी खण्ड–3 सूरतगढ के अंतर्गत आता है चक 9 टीके के मुरब्बा नं. 44 प.नं. 193/304 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता की जगह चल रहा खाला सिंचाई नक्शे सीसीए रिकार्ड व जमाबंदी के अनुसार मुरब्बा नं. 42 प.नं. 193/303 के कि.नं. 21 ता 25 [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:13 IST
Reason: SelfAttested

6. अधिशाषी अभियंता ओएफडी खण्ड–प्रथम [illegible] इंगानप बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक 2064 दिनांक 23.07.2025 [illegible] करवाया है कि चक 9 टी.के. का कार्य 07.11.2015 को [illegible] हुआ कार्य दिनांक 27.12.2015 को पूर्ण हो चुका है [illegible] रिवाईज्ड चक स्कीम कार्यालय अधीक्षण अभियंता ओएफडी वृत सिंदावि इंगानप बीकानेर के पत्र क्रमांक 1193 दिनांक 20.07.2016 द्वारा स्वीकृत है स्वीकृत चक प्लान/स्कीम अनुसार लैटल 2 चैनेज 0–1650 फिट सीएडी द्वारा पक्का कराया गया एवं 1650 से 2475 फिट कच्चा छोड़ा गया। स्वीकृत सीएडी स्कीम द्वारा उपलब्ध सीसीए स्टेटमेन्ट अनुसार प.नं. 192/304

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

एवं प.नं. 193/304 में वाटर कोर्स दर्शाया गया है उक्त खाला में नक्का सटर रशीद में काश्तकारों ने निर्माण से संतुष्ट होने का प्रमाण दिया है इस कार्यालय द्वारा वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

7. प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने कथन किया है कि तहसीलदार रायसिंहनगर व कनिष्ट अभियंता जल संसाधन उपखण्ड रायसिंहनगर एवं अधिशाषी अभियंता ओएफडी खण्ड–प्रथम सिंक्षेवि इंगानप बीकानेर ने अपनी मौका रिपोर्ट अवगत करवाया है कि रास्ता की जगह पक्का खाला का निर्माण किया गया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 9 टीके के मुरब्बा नं. 44 प.नं. 193/304 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता की जगह चल रहे पक्का खाला को हटवाया जाकर रास्ता चालू करवाया जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। अधिशाषी अभियंता ओएफडी खण्ड–प्रथम सिंक्षेवि इंगानप बीकानेर, सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड रायसिंहनगर एवं तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। सिंचाई एवं राजस्व जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि चक 9 टीके के मुरब्बा नं. 44 प.नं. 193/304 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता की जगह पक्का खाला का निर्माण किया गया है प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज जांच रिर्पोट के तथ्यो के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 क स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर **चक 9 टी.के. मु.नं. 41 व 42 के कि.नं. 21 ता 25 में खाले के स्थान पर गै.मु. रास्ता एवं मु.नं. 44 व 45 के कि.नं. 1 ता 5 में गै.मु. रास्ते की जगह गै.मु. खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार मौका पर रास्ता चालू करवाया जावे।** निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा दिया जाकर सुने ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान